

शेख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स



नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

29/7/24

वकुलाप उपस्थित/ स्थगन आदेश की अवधि
आगामी पेशी तक बढ़ाई जाती है। पत्रवली मूल
अपील के साथ दिनांक 14/8/24 को पेश हो।

12/08/24

वकुलाप उपस्थित/ स्थगन आदेश की अवधि
आगामी पेशी तक बढ़ाई जाती है। पत्रवली
मूल अपील के साथ 20/08/24 को पेश हो।

20/8/24

वकुलाप उपस्थित/ स्थगन आदेश की अवधि
आगामी पेशी तक बढ़ाई जाती है। पत्रवली
मूल अपील के साथ 02/9/24 को पेश हो।

02/9/24

वकुलाप उपस्थित/ स्थगन आदेश की अवधि
आगामी पेशी तक बढ़ाई जाती है। पत्रवली
मूल अपील के साथ 17/9/24 को पेश हो।

17/9/24

वकुलाप उपस्थित/ मूल अपील सं. 108/2023
में निर्णीत हो जाने से अब स्थगन आदेश
की प्रभावी नहीं रखा जा सकता है। अतः प्राथमिक
पत्र पर क्रियाविति समाप्त की जाती है। पत्रवली
फैसले में शुमार वेकर मूल अपील के संलग्न
रखे जावें।

जिला कलेक्टर, बृन्दी